

## प्रेस नोट दिनांक 20.07.2022

### 02 अन्तर्राज्यीय टप्पेबाज गिरफ्तार

#### टप्पेबाजी के 24300 रुपये, एक मोटरसाइकिल व 02 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के मार्गदर्शन में एसओजी/सर्विलांस प्रभारी श्री एम.पी. त्रिपाठी तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अशोक कुमार सिंह तथा उनकी टीमों द्वारा कस्बा शिवरामपुर में दिनांक 28.06.2022 को हुयी टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण करते हुये टप्पेबाजी करने वाले 02 अभियुक्तों को टप्पेबाजी के 24300/- रुपये व एक मोटरसाइकिल व 02 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.06.2022 को कस्बा शिवरामपुर में श्री बालेश्वर प्रसाद पाण्डेय निवासी पाण्डेय का पुरवा मजरा मछरिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा आर्यव्रत बैंक कस्बा शिवरामपुर से 90000/- रुपये निकाला गया था। पैसा निकालने बाद साइकिल में थैला टांगकर घर जा रहे थे कि रास्ते में ही 02 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा टप्पेबाजी करते हुये 90000/- रुपया चोरी कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 236/2022 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी/सर्विलांस प्रभारी तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। एसओजी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये म0प्र0 के जनपद शहडोल व सीधी में पतारसी करने व मुखबिर की सूचना पर भांग रोड मछरिया मोड से दिनांक 19.07.2022 को अभियुक्त नीलेश कुमार चतुर्वेदी पुत्र भगवानदास निवासी बरकछ थाना ब्यौहारी जनपद सहडोल तथा बबलू कुमार कंजर पुत्र रामसिंह निवासी खमरौद थाना बुढ़ार जनपद सहडोल म0प्र0 को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से टप्पेबाजी का 24300/- रुपये व टप्पेबाजी की घटना में प्रयोग की गयी बिना नम्बर की हीरो एक्ट्रीम मोटरसाइकिल तथा 02 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद किये गये। अभियुक्तों ने पूछताछ दौरान बताया कि उनके द्वारा टप्पेबाजी किये गये शेष रुपया खर्च कर दिये हैं। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 236/2022 धारा 379 भादवि0 में धारा 411 भादवि0 की बढोत्तरी की गयी।

#### अभियुक्तों का विवरण:-

1. नीलेश कुमार चतुर्वेदी पुत्र भगवानदास निवासी बरकछ थाना ब्यौहारी जनपद सहडोल म0प्र0
2. बबलू कुमार कंजर पुत्र रामसिंह निवासी खमरौद थाना बुढ़ार जनपद सहडोल म0प्र0

#### अभियुक्तों बबलू कंजर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 664/05 धारा 294/234/506/34 भादवि0 थाना बुढ़ार जनपद सहडोल म0प्र0
2. मु0अ0सं0 236/22 धारा 379/411 भादवि0 थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

#### बरामदगी:-

1. टप्पेबाजी का 24300/- रुपये
2. टप्पेबाजी की घटना में प्रयोग की गयी बिना नम्बर की हीरो एक्ट्रीम मोटरसाइकिल
3. 02 मल्टीमीडिया मोबाइल फोन

#### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

## टीम प्रथम

1. एसओजी/सर्विलांस प्रभारी श्री एम.पी. त्रिपाठी
2. मुख्य आरक्षी राजबहादुर सिंह
3. मुख्य आरक्षी रईश खां
4. आरक्षी जितेन्द्र कुमार
5. आरक्षी शरद कुमार सिंह
6. आरक्षी राहुल कुमार

## टीम द्वितीय:-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अशोक कुमार सिंह
2. चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री राकेश मौर्य
3. आरक्षी संजय कुमार सरोज
4. आरक्षी नीतेश पाठक

(2). वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय के पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी श्री एसपी ठी तथा उनकी टीमत्रिपा द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये साइबर अपराध के 05 पीडितों के कुल 01,17,493 रूपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये।

माह जून में आवेदक श्री लवकुश प्रसाद थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा शिकायत की गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके खाते से बिना जानकारी के धोखाधड़ी करके -/70000रूपये निकाल लिया गया है।

.( 2) माह जून में आवेदक आशीष कुमार थाना कोतावाली कर्वी द्वारा शिकायत की गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके खाते से बिना जानकारी के धोखाधड़ी करके -/17800रूपये निकाल लिया गया है

.(3) माह जून में आवेदक धनेद्र ठाकूर थाना रैपुरा द्वारा शिकायत की गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके खाते से बिना जानकारी के धोखाधड़ी करके -/9695रूपये निकाल लिया गया है।

.(4) माह जून में आवेदिका श्रीमती कलावती देवी थाना कोतावाली कर्वी द्वारा शिकायत की गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके खाते से बिना जानकारी के धोखाधड़ी करके -/10000रूपये निकाल लिया गया है।

.(5) माह जून में आवेदक वंशरूप थाना पहाड़ी द्वारा शिकायत की गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके खाते से बिना जानकारी के धोखाधड़ी करके -/9998रूपये निकाल लिया गया है।

। साइबर सेल द्वारा अथक प्रयास करके उपरोक्त पांचों पीडितों को शत प्रतिशत रूपये बरामद कराया गया है

श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा साइबर सेल प्रभारी श्री एम ,त्रिपाठी .पी.आरक्षी लवकुश यादवआरक्षी हिमां ,क द्विवेदीआरक्षी सर्वेश यादव के द्वारा किये गये कार्य की , प्रशंसा की गयी।

जनमानस से अपील की जाती है कि गूगल पर किसी भी कम्पनी या बैंक का कस्टमर केयर का नम्बर दूढने में बेहद सावधानी बरते तथा प्राप्त नम्बरो पर पूरी तरह भरोसा न करे और अपनी व्यक्तिगत व बैंकिंग सम्बन्धी जानकारी किसी से भी साझा न करे। एनीडेस्क, टीम व्यूअर आदि रिमोट एक्सेस साफ्टवेयर का प्रयोग बेहद सावधानीपूर्वक करे, इससे साइबर अपराधियो द्वारा आपको खाते तक पहुंचकर आपके साथ आर्थिक रूप से धोखाधड़ी कर धनराशि निकाली जा सकती है। फोन पर कभी भी किसी प्रकार के लुभावने आफर प्राप्त करने हेतु कभी किसी को अपने बैंक, खाता, एटीएम न0, ओटीपी सम्बन्धी जानकारी न शेयर करे। किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा यदि फोन पर पैसे भेजने की बात कहे तो खूब सोच समझ कर लेन-देन करें व किसी भी अनजान लिंकवेबसाइट आदि को न ओपन / करे, इससे आपको

वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। आनलाइन वेबसाइट के माध्यम से खरीददारी हेतु पूर्व भुगतान करते समय बेहद सावधानी बरते। सम्भव हो तो विक्रेता से पर्सनल मिले बिना लेन देन करने से बचे। अज्ञात कालर द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं व कालोनी स्वीकृत किये जाने के नाम पर भी पैसों की मांग किये जाने पर ऐसे व्यक्तियों के खाते में पैसे जमा न करें तथा इसकी शिकायत निकटतम पुलिस थाने या राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नं 1930 0पर तुरंत कॉल करके करें या साइबर सेल की वेबसाइट [www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in) पर भी कम्प्लेंट कर सकते हैं।

(3). गुमशुदा 80 खोए हुए/ अदद मोबाइल फोन 08 अनुमानित कीमत लगभग) लाख रूपये ( बरामद, बरामदशुदा मोबाइल धारकों को किये गये सुपुर्दखोए हुए मोबाइल फोन पाकर मोबाइल धारकों के खिले चेहरे ,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री शैलेन्द्र कुमार राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी सर्विलांस त्रिपाठी के नेतृत्व में 0पी0स्वाट श्री एम/ 75 खोये हुए कुल/स्वाट टीम द्वारा गुमशुदा/सर्विलांस अदद मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 08 लाख रूपये है को सकुशल बरामद कर मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि गुमखोए हुए मोबाइल/ के धारकों द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष अपना मोबाइल खोने के सम्बन्ध में पूर्व में विभिन्न तिथियों में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सर्विलांसफोन की बरामदगी हेतु निर् खोए हुए मोबाइल/स्वाट टीम को गुम/देश दिये गये थे। प्रभारी सर्विलांस 0पी0स्वाट टीम एम/ स्वाट टीम द्वारा लगातार/त्रिपाठी के नेतृत्व में सर्विलांस प्रयास करते हुए 75 गुमशुदा खोए हुए मोबाइलों/ की बरामदगी करते हुए आज दिनांक 20.07.2022-को मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया।

#### बरामदगी का विवरण:-

75 अदद मोबाइल फोन 07 अनुमानित कीमत लगभग) लाख हजार 50 रूपये (

#### बरामदगी करने वाली टीम:-

- .1 प्रभारी सर्विलांस त्रिपाठी 0पी0स्वाट टीम श्री एम/
- .2 मुख्य आरक्षी राजबहादुर सिंह
- .3 मुख्य आरक्षी रहीश खां
- .4 आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार
- .5 आरक्षी रोहित कुमार सिंह
- .6 आरक्षी जितेन्द्र कुमार
- .7 आरक्षी आदित्य कुमार
- .8 आरक्षी शरद कुमार
- .9 आरक्षी लवकुश यादव

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्त को 24 क्वार्टर देशी शराब तथा 30 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया।

1. प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप श्री दुर्गेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री जय सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी दवारा अभियुक्त छोटेलाल पुत्र बाबू लाल वर्मा निवासी ग्राम बीडर पुरवा मजरा गौडा भरतकूप जनगद चित्रकूट को 24 अदद

क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में मुकदमा अपराध संख्या 90/22 धारा 60 आबकारी अधि० में पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी:-**

24 अदद क्वार्टर देशी शराब

**गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

1. उ०नि० श्री जय सिंह थाना भरतकूप
  2. आरक्षी अभिषेक कुमार सिंह
- (2). उ०नि० श्री प्रवीण कुमार सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गोरेलाल पुत्र गोकुल प्रसाद निवासी डिलौरा कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु०अ०सं० 279/22 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया

**बरामदगी:-**

30 लीटर कच्ची शराब

**गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

1. उ०नि० श्री प्रवीण कुमार सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
  2. आरक्षी शिवम गुप्ता
- (5). आज दिनांक 20.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए

(6). आज दिनांक-20.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी में थाना/चौकी प्रभारियों को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

आज दिनांक 20.07.2022 को पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये-

- (1). आईजीआरएस से सम्बन्धित लम्बित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण शीघ्र करायें।
- (2). थानास्तर पर सीसीटीएनएस के अनुसार लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा कर, सभी को निर्देश दिये गये कि लम्बित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करें।
- (3). प्रतिदिन कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई कर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करायें।

- (4). वर्कआउट हेतु शेष मुकदमों में शीघ्र वर्कआउट करें।
- (5). वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
- (6). कावड़ मेला के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्बन्धित निर्देश दिये गये।
- (7). जघन्य अपराध के अनावरण एवं थानों में लम्बित विवेचना का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाये।
- (8). अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये।
- (9). महिला सम्बन्धी अपराध का शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाये।
- (10). मिशन शक्ति अभियान के तहत एण्टी रोमियों टीमों द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- (11). प्रतिदिन सायंकालीन पैदल गस्त के साथ-साथ दो पहिया पर बिना हेलमेट/शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

मासिक अपराध गोष्ठी में श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नगर, श्री एस0पी0 सोनकर क्षेत्राधिकारी राजापुर, श्री सुबोध गौतम क्षेत्राधिकारी मऊ, श्री यतीन्द्रनाथ उमराव मुख्य अग्निशमन अधिकारी, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन श्री हर्ष पांडेय, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन श्री राजकमल, क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अनुज कुमार, एआरटीओ0, एस0पी0ओ0, डी0जी0सी0, समस्त थाना/चौकी प्रभारी, प्रतिसार निरीक्षक रेडियो, प्रभारी सोशल मीडिया सेल, प्रभारी मॉनीटरिंग/डीसीआरबी, प्रभारी एलआईयू, प्रभारी यातायात, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री संतराम सिंह, श्री कमलेश कुमार राव स्टेनों पुलिस अधीक्षक, श्री आलोक सिंह प्रधान लिपिक पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।